

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0-87/2022

(जीसीएमएस नं0 2022/8)

उनवान —सरकार बनाम अशोक कुमार पुत्र काशीराम कुशवाह , विक्रेता मैसर्स: रामेश्वर हलवाई , मांगरोल रोड, मनिर्यो, धौलपुर जिला धौलपुर



(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51.52 एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक —29.05.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह कुमार खान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र काशीराम कुशवाह , विक्रेता मैसर्स: रामेश्वर हलवाई , मांगरोल रोड, मनिर्यो, धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2021 को अभियुक्त/अप्रार्थी के दुकान मैसर्स:- रामेश्वर हलवाई , मांगरोल रोड, मनिर्यो, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 10 किलोग्राम बेसन के लड्डू (बेसन, चीनी, रिफाईण्ड पामोलीन ऑयल, वनस्पति एवं खाद्य रंग से निर्मित) को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त बेसन के लड्डू (बेसन, चीनी, रिफाईण्ड पामोलीन ऑयल, वनस्पति एवं खाद्य रंग से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर उक्त बेसन के लड्डू (बेसन, चीनी, रिफाईण्ड पामोलीन ऑयल, वनस्पति एवं खाद्य रंग से निर्मित) को 2 किलोग्राम बेसन के लड्डू (बेसन, चीनी, रिफाईण्ड पामोलीन ऑयल, वनस्पति एवं खाद्य रंग से निर्मित) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त बेसन के लड्डू (बेसन, चीनी, रिफाईण्ड पामोलीन ऑयल, वनस्पति एवं खाद्य रंग से निर्मित) नमूना डी-2602 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/1039/एक्ट/2022/1040 दिनांक 20.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया बेसन के लड्डू (बेसन, चीनी, रिफाईण्ड पामोलीन ऑयल, वनस्पति एवं खाद्य रंग से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री कुशमाकर गर्ग, अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी अभिभाषक को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया । जबाब पेश करने से मना किया। अप्रार्थी अभिभाषक ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेसन के लड्डू (बेसन, चीनी, रिफाईण्ड पामोलीन ऑयल, वनस्पति एवं खाद्य रंग से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेसन के लड्डू (बेसन, चीनी, रिफाईण्ड पामोलीन ऑयल, वनस्पति एवं खाद्य रंग से निर्मित) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री अशोक कुमार पुत्र काशीराम कुशवाह , विक्रेता मैसर्स: रामेश्वर हलवाई , मांगरोल रोड, मनिर्यो, धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 25,000/-रुपये (पच्चीस हजार रुपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर(राज.)

